तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.2.18	पत्रावली पेश हुई। अधिकारी अन्य प्रशासनिक/प्रशासन गांवों के संग अभियान 2018 में व्यस्त है. कार्यवाही आईन्दा आदेश दि.-30/4/18 को पेश हो। (sd)	
30.4.18	पत्रावली पेश हुई। अधिकारी अन्य प्रशासनिक/प्रशासन गांवों के संग अभियान 2018 में व्यस्त है. कार्यवाही आईन्दा आदेश दि.-1/6/18 को पेश हो। (sd)	कबंरीलाल
01.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 ग्रा.पं. चनानी में पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी की ओर से प्रा.पत्र पेश किया गया कि प्रकरण (1) कोरीलाल बनाम भोलू 156/15 (2) कोरीलाल बनाम रामसहाय प्र.सं. 147/15 (3) कोरीलाल बनाम रामसहाय प्र.सं. 138/15 (4) कोरीलाल बनाम मोतीलाल प्र.सं. 146/15 (5) कोरीलाल बनाम लक्ष्मीनारायण प्र.सं. 160/15 मय प्रा.पत्र T.S. का पेश किये हुये है। उक्त वाद रहन वागुजाश्त बाबत पेश किये हुये है जिनमें धारा 43(3)(4)(4क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 5 वर्ष से अधिक व 20 वर्ष निष्पादन तारीख से हो गये है। उक्त धारा के तहत ऐसे संपूर्ण रहन बिना चुकाये रहन मुक्त समझे जावे। लिहाजा उक्त रहन की समयावधि समाप्त हो चुकी है। अत: प्रकरणों में राजस्व रिकॉर्ड में रहन मुक्त के आदेश फरमावे। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	पर पहुंचा है कि वर्णित भूमि ख.नं. 526 रकबा 01-02 बीघा वाके ग्राम काचरिया में दर्ज रहन, धारा 43(3) (ए) (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 5 वर्ष से अधिक व 20 वर्ष निष्पादन तारीख से हो गये है अतः नियमानुसार रहन का अंकन हटाया जाना उचित है राज्य सरकार के अभियान लोक अदालत / कैम्प कोर्ट के अनुसार काश्तकारों के बीच क्रम से क्रम वाद खत्म हो तथा नियमों की जानकारी के अभाव में अनावश्यक बैर नहीं बढे। इस कारण यह वाद राजस्व लोक अदालत की भावना से न्यायालय स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतः वादीगण का वाद लोक अदालत की भावना से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। धारा 43(3) (ए) (एक) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खाता क्र. 18 ख.नं. 526 रकबा 01-02 बीघा वाके ग्राम काचरिया संवत 2068-71 में रहन बमुजास्त किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली मिसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।	
	[signature] 1/6/18 कैम्प कोर्ट/उपखण्ड अधिकारी ... जिला टोंक	

प्रपत्र – 5

मूल वद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मु., निवाई

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी निवाई

उनवान

कोडीलाल **बनाम** मोतीलाल

दावा बाबत बागुजास्त किये जाने रहन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 146/15

निर्णय दिनांक :- 01.6.18

वादी की ओर से कंवरीलाल की व प्रतिवादी की ओर से — की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.6.18 को हरिराम कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) अति. R.A.S. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादीगण का वाद लोक अदालत की भावना से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। धारा 43(3)(4)(4क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खाता सं. 18 ख.नं. 526 रकबा 01-02 बीघा वाके ग्राम काचरिया संवत् 2068-71 में रहन बागुजास्त किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खर्चा पक्षकारान्त अपना – अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

01/6/18

पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, निवाई
कैम्प कोर्ट चनानी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदेशों के लिए स्टाम्प ....रुपये प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय कमीश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीड की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमीश्नर की फीस	/
जोड़े		जोड़े	

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर, निवाई

Scanned by CamScanner